

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. छिगनलाल पुत्र धन्नाराम
2. बिरजू पुत्र धन्नाराम
3. बिरदीचन्द पुत्र रामूराम
4. पारादेवी पत्नी रामूराम
5. सीताराम पुत्र रामूराम
सा. गोरवपुरा तह. नांवा

1. रामचन्द्र पुत्र घीसाराम कुम्हार
2. बद्रीनारायण पुत्र घीसाराम कुम्हार
3. आन्नदीलाल पुत्र घीसाराम कुम्हार
4. तीजादेवी पत्नी हणमानराम कुम्हार
5. लालाराम पुत्र हणमानराम कुम्हार
6. पतासी पत्नी नन्दाराम गुर्जर
7. मालीराम पुत्र नन्दाराम गुर्जर
8. सोनाराम पुत्र नन्दाराम गुर्जर
9. बलवीर पुत्र नन्दाराम गुर्जर
10. मदनीदेवी पुत्री नन्दाराम गुर्जर
11. रतनीदेवी पुत्री नन्दाराम गुर्जर
12. गुलाबदेवी पत्नी लादूराम गुर्जर
13. गोपाल पुत्र लादूराम गुर्जर
14. सुमन पुत्री लादूराम गुर्जर
15. पुजा पुत्री लादूराम गुर्जर
16. मीनूदेवी पुत्री लादूराम गुर्जर
17. नारायण पुत्र भूराराम गुर्जर
18. धन्नाराम पुत्र भूराराम गुर्जर
19. बीलादेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
20. दलूदेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
21. सुवादेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
22. फूलकी बेवा लच्छाराम गुर्जर
23. मालूराम पुत्र रामूराम कुम्हार
सा. गौरवपुरा तह. नांवा
24. एच.डी.एफ.सी. बैंक चौमू
25. जयपुर थार ग्रामीण बैंक लूणवा
26. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :- खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :- श्री हनुमानाराम वकील वादीगण

श्री राजेश कुमाव वकील प्रतिवादी

मुकदमां नम्बर :- 14/2015

निर्णय दिनांक :- 18.9.17

निर्णय


वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गोरवपुरा तह. नांवा के खसरा नम्बर 790, 791, 789, 792, 799 कुल रकबा 10.40 हैक्टर भूमि जिसकी खातेदारी पहले घीसा वल्द गोमा, रामू वल्द लच्छा, हणमान वल्द बोदू, नन्दा, नारायण, बंशी, धन्ना पि. भूरा, फूलकी बेवा लच्छा, छगना, बिरजू पि. धन्ना के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन खसरा नम्बर 790, 791 कुल रकबा 3.83 हैक्टर भूमि में से खातेदार रामू वल्द लच्छा ने अपने हक व हिस्से की सम्पूर्ण भूमि लालीदेवी पत्नी गोपालराम जाट निवायी जयसिंहपुरा को विक्रय करने से इसके नाम खातेदारी दर्ज हुई हैं जिसने वादी 1 व 3 को उक्त भूमि का बैचान कर दिया जिसके स्थान पर वादी 1 व 3 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं खसरा नम्बर 789, 792, 799 कुल रकबा 6.57 हैक्टर में रामू वल्द लच्छा के वारिसान खातेदार मालूराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचान वादी संख्या 1 को कर दिया जिसके आधार पर खातेदारी दर्ज होकर खातेदार अपनी सहमति से मौके पर काबिज काशत हो गये। आपसी समझाई से हुऐ समझोते के अनुसार खसरा नम्बर 789 रकबा 1.66 हैक्टर में पश्चिमी तरफ की भूमि में उत्तरी तरफ की 0.81 हैक्टर वादी छगनलाल के व दक्षिणी 0.81 हैक्टर भूमि वादी बिरजू के कब्जे काशत में आयी इसी प्रकार खसरा नम्बर 790 रकबा 1.08 हैक्टर में दक्षिणी तरफ की 0.61 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल के कब्जे में तथा उत्तरी तरफ की 0.47 हैक्टर भूमि वादी बिरदीचन्द के कब्जे काशत में खसरा नम्बर 799 रकबा 3.24 हैक्टर में उत्तरी तरफ 0.81 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल के कब्जे में तथा पश्चिमी तरफ जो खसरा नम्बर 790 वादी छिगनलाल के हक हिस्से से लगती हुई हैं जिसमें 0.20 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल का तथा दक्षिणी तरफ 1.67 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 789 में से पूर्वी तरफ 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.71 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि का रास्ता वादीगण बिरजू, छिगनलाल, पारादेवी व सीताराम के हक में छोड़कर शेष 1.66 हैक्टर भूमि पर वादीगण पारादेवी व सीताराम काबिजत काशत हैं तथा खसरा नम्बर 791 रकबा 2.75 हैक्टर में से दक्षिणी पूर्वी तरफ की 0.34 हैक्टर भूमि वादी बिरदीचन्द के कब्जे काशत व खातेदारी हक हिस्से आयी हुई है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण ने बंटवार कर अलग अलग काबिज काशत है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त सम्पूर्ण आराजीयत संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 789, 792, 799 में गलती से वादी छिगनलाल का नाम छगना दर्ज हैं जिसकी दुरुस्ती करते हुऐ वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित कब्जे काशत व हक हिस्से माफिक खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाकर बंटवारा कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें एस.डी.एफ.सी. बैंक ने जवाब पेश कर प्रतिवादी 5 लालाराम पुत्र हणमानराम द्वारा अपने हक हिस्से पर लिये गये लोन में बैंक के हक हिस्सों को सुरक्षित रखते हुऐ बंटवारा किया जाता हैं तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया हैं शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वादीगण ने वाद के साथ नकल जमाबन्दी, नक्शा

ट्रेस एवं गिरदावरी की नकले व बैचान दस्तावेजा की प्रतियां पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम गौरवपुरा जो पूर्व में ग्राम लूणवा से नया सर्जित हुआ है विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 123 रकबा 273-13 बीघा स्थित हैं जिसके बाद में खसरा नम्बर 123/6 रकबा 72-07 बीघा पड़े हैं जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 790, 791, 789, 792, 799 कुल रकबा 10.40 हैक्टर वादीगण ने ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.66 हैक्टर जिसमें खसरा नम्बर 789 रकबा 1.66 हैक्टर में पश्चिमी तरफ की भूमि में उत्तरी तरफ की 0.81 हैक्टर वादी छगनलाल के व दक्षिणी 0.81 हैक्टर भूमि वादी बिरजू के कब्जे काशत में आयी इसी प्रकार खसरा नम्बर 790 रकबा 1.08 हैक्टर में दक्षिणी तरफ की 0.61 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल के कब्जे में तथा उत्तरी तरफ की 0.47 हैक्टर भूमि वादी बिरदीचन्द के कब्जे काशत में खसरा नम्बर 799 रकबा 3.24 हैक्टर में उत्तरी तरफ 0.81 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल के कब्जे में तथा पश्चिमी तरफ जो खसरा नम्बर 790 वादी छिगनलाल के हक हिस्से से लगती हुई हैं जिसमें 0.20 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल का तथा दक्षिणी तरफ 1.67 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 789 में से पूर्वी तरफ 0.04 हैक्टर कुल रकबा 1.71 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि का रास्ता वादीगण बिरजू, छिगनलाल, पारादेवी व सीताराम के हक में छोड़कर शेष 1.66 हैक्टर भूमि पर वादीगण पारादेवी व सीताराम काबिजत काशत हैं तथा खसरा नम्बर 791 रकबा 2.75 हैक्टर में से दक्षिणी पूर्वी तरफ की 0.34 हैक्टर भूमि वादी बिरदीचन्द के कब्जे काशत व खातेदारी हक हिस्से आयी हुई है। ग्राम लूणवा के गत खसरा नम्बर 123/6 रकबा 72-07 बीघा भूमि सम्मत 2018-2020 में वादी संख्या 4 के दादा लच्छा पुत्र मोट के कब्जे काशत में 41-17 बीघा भूमि अंकित हैं उसमें से 1.62 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल पुत्र धन्नाराम व बृजमोहन पुत्र धन्नाराम को बहिस्सा बराबर विक्रय की थी जिसके आधार पर खातेदारी दर्ज हुई हैं। लच्छाराम के स्वर्गवास के बाद उसके स्थान पर खातेदारी रामूराम पुत्र लच्छाराम के नाम दर्ज हुई। वर्तमान खसरा नम्बरान 790, 791, 789, 792, 799 कुल रकबा 10.40 हैक्टर में खसरा नम्बर 790, 791 कुल रकबा 3.83 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 1.84 हैक्टर भूमि लालीदेवी को विक्रय कर दिया तथा लालीदेवी ने उक्त भूमि वादी छिगनलाल व बिरदीचन्द को बैचान कर दी तथा खसरा नम्बर 789, 792, 799 कुल रकबा 6.57 हैक्टर में रामूराम की 3.15 हैक्टर भूमि थी रामूराम का स्वर्गवास होने के बाद उसके वारिसान मालूराम के नाम दर्ज हुई मालूराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी छगनलाल को बैचान किया हैं शेष भूमि पर वादीगण 4, 5 काबिज चले आ रहे हैं वादीगण ने न्यायालय में मौके पर नाप चौप कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से माफिक खातेदारी घोषणा कर प्रकरण का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया हैं जिस पर भू. अ. निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा भूमि का नाप चौप कर मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया हैं मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थित में तैयार की गई हैं मौका रिपोर्ट को वादीगण में बिलकुल सही होना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रतिवादीगण ने सम्मन तामील के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं एवं किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया हैं जिससे वादीगण के वाद बाबत प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति होना प्रतीत होता हैं जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.66 हैक्टर में उत्तरी तरफ की 0.85 हैक्टर भूमि वादी छिगनलाल की खातेदारी में तथा दक्षिणी तरफ की 0.81 हैक्टर भूमि का वादी बिरजू की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 790 रकबा 1.08 हैक्टर में उत्तरी तरफ की 0.64 हैक्टर भूमि का वादी बिरदीचन्द की खातेदारी में तथा दक्षिणी तरफ की 0.44 हैक्टर भूमि का वादी छिगनलाल को खातेदारी घोषित किया जाता है खसरा नम्बर 799 रकबा 3.24 हैक्टर भूमि में उत्तरी तरफ की 0.80 हैक्टर वादी छिगनलाल की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 790 में बिरदीचन्द की 0.16 हैक्टर भूमि के दक्षिण में 0.33 हैक्टर भूमि का वादी छिगनलाल को एवं शेष 1.95 हैक्टर भूमि में से पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 789 में वादी छिगनलाल की भूमि तक 0.05 हैक्टर रास्ते के लिए वादीगण की संयुक्त खातेदारी में तथा शेष 1.90 हैक्टर भूमि वादी सीताराम व पारादेवी के हक व खातेदारी में घोषित की जाती है। शेष भूमि अन्य सह खातेदारों की खातेदारी में यथावत रहेगी। मौका रिपोर्ट डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। जिस खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन हैं वो यथावत रहन रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6-7 दीवानी)
अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.
अज अदालत :- श्री हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. छिगनलाल पुत्र धन्नाराम		1. रामचन्द्र पुत्र घीसाराम कुम्हार
2. बिरजू पुत्र धन्नाराम		2. बद्रीनारायण पुत्र घीसाराम कुम्हार
3. बिरदीचन्द पुत्र रामूराम		3. आन्नदीलाल पुत्र घीसाराम कुम्हार
4. पारादेवी पत्नी रामूराम		4. तीजादेवी पत्नी हणमानराम कुम्हार
5. सीताराम पुत्र रामूराम		5. लालाराम पुत्र हणमानराम कुम्हार
सा. गोरवपुरा तह. नांवा		6. पतासी पत्नी नन्दाराम गुर्जर
		7. मालीराम पुत्र नन्दाराम गुर्जर
		8. सोनाराम पुत्र नन्दाराम गुर्जर
		9. बलवीर पुत्र नन्दाराम गुर्जर
		10. मदनीदेवी पुत्री नन्दाराम गुर्जर
		11. रतनीदेवी पुत्री नन्दाराम गुर्जर
		12. गुलाबदेवी पत्नी लादूराम गुर्जर
		13. गोपाल पुत्र लादूराम गुर्जर
		14. सुमन पुत्री लादूराम गुर्जर
		15. पुजा पुत्री लादूराम गुर्जर
		16. मीनूदेवी पुत्री लादूराम गुर्जर
		17. नारायण पुत्र भूराराम गुर्जर
		18. धन्नाराम पुत्र भूराराम गुर्जर
		19. बीलादेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
		20. दलूदेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
		21. सुवादेवी पुत्री भूराराम गुर्जर
		22. फूलकी बेवा लच्छाराम गुर्जर
		23. मालूराम पुत्र रामूराम कुम्हार
		सा. गौरवपुरा तह. नांवा
		24. एच.डी.एफ.सी. बैंक चौमू
		25. जयपुर थार ग्रामीण बैंक लूणवा
		26. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :- खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा
मुकदमां नम्बर :- 14/2015

निर्णय दिनांक :- 18.09.2017

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हनुमानाराम वकील वादीगण व राजेश कुमावत वकील प्रतिवादी 16 उभय पक्षकारान डिक्री दी जाती हैं कि :-
ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.66 हैक्टयर में उत्तरी तरफ की 0.85 हैक्टयर भूमि वादी छिगनलाल की खातेदारी में तथा दक्षिणी तरफ की 0.81 हैक्टयर भूमि का वादी बिरजू की खातेदारी में तथा

खसरा नम्बर 790 रकबा 1.08 हैक्टर में उत्तरी तरफ की 0.64 हैक्टर भूमि का वादी बिरदीचन्द की खातेदारी में तथा दक्षिणी तरफ की 0.44 हैक्टर भूमि का वादी छिगनलाल को खातेदारी घोषित किया जाता है खसरा नम्बर 799 रकबा 3.24 हैक्टर भूमि में उत्तरी तरफ की 0.80 हैक्टर वादी छिगनलाल की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 790 में बिरदीचन्द की 0.16 हैक्टर भूमि के दक्षिण में 0.33 हैक्टर भूमि का वादी छिगनलाल को एवं शेष 1.95 हैक्टर भूमि में से पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 789 में वादी छिगनलाल की भूमि तक 0.05 हैक्टर रास्ते के लिए वादीगण की संयुक्त खातेदारी में तथा शेष 1.90 हैक्टर भूमि वादी सीताराम व पारादेवी के हक व खातेदारी में घोषित की जाती है। शेष भूमि अन्य सह खातेदारों की खातेदारी में यथवत रहेगी। मौका रिपोर्ट डिक्री का पार्ट रहेगा। तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। जिस खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन हैं वो यथावत रहन रहेगा।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नावा नावा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक			स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		
मीलान			मीजान		